Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में ग्राम विकास अधिकारी को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी झालावाड़ इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मोगरा, पं.स. भवानीमंडी, झालावाड़ गोविन्द मेहर को 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए. सी.बी. की झालावाड इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी एवं अन्य 5 आवेदकों को पट्टा जारी करने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मोगरा, पं.स. भवानीमंडी, झालावाड़ गोविन्द मेहर द्वारा 60 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की झालावाड प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानीशंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा भवानीमंड़ी में ट्रेप कार्यवाही करते हुये गोविन्द मेहर पुत्र श्री जगदीश चन्द्र मेहर निवासी बस स्टेण्ड हेमड़ा, तहसील व थाना सुनेल, जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मोगरा, पं.स. भवानीमंडी, झालावाड़ को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।